ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION

Regd. No. 17903 H/Q Aravindapalli, Lower Beniasole, Post. – Adra .Distt. Purulia (W.B.) Pin 723121

Central Office : AILRSA BHAWAN, H.No. 333, Bhoor Bharat Nagar, Ghaziabad – 201001.Tel. No. : 0120-2740025

SOLAPUR DIVISION, CENTRAL RAILWAY

S. J. NIGADE
Divisional President, Solapur
Phone: 9403304070

YOGESH J. MADAKE
Ad-hoc Divisional Secretary, Solapur
Phone: 90969 99107

Email :- ailrsasur@gmail.com

Office:- Flat no. 15, Swapna Sagar Appartment, Defence Colony,Daund,PUNE, 413801

Letter no.- AILRSA-SUR/GM-CR/Duty hrs & Hq.Rest/2026

Date - 08.09.2026

सेवा में,

आदरणीय महाप्रबंधक (GM) महोदय,
मध्य रेलवे, CSMT., मुंबई ।

प्रतिलिपि :

आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक (DRM) महोदय,
सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे, सोलापुर।

विषय : सोलापुर मंडल में लोको रनिंग स्टाफ से निर्धारित ड्यूटी घंटों से अधिक कार्य लेने, मुख्यालय पहुँचने के पश्चात अनिवार्य HQ Rest से वंचित कर HQ Overshoot कराने तथा सुरक्षा कारणों से निर्धारित समय के बाद कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध DAR कार्रवाई किए जाने के संबंध में–Sr. DEE/TR/SUR एवं DME/OP/SUR की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच एवं तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु।

संदर्भ:

1. Railways Act, 1989 का Chapter XIV, विशेषतः Sections 132, 133, 134 एवं 136।
2. Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 (G.S.R. 75/RBE No.131/2005)।
3. Railway Board Letter No. E(LL)/2016/HPC/1, dated 28.11.2016 (RBE No.143/2016)।
4. Railway Board Letter No. 2007/Elect.(TRS)/225/7, dated 24.04.2023 एवं subsequent clarification regarding duty hours of Running Staff।

महोदय,

हम आपका ध्यान सोलापुर मंडल में लोको रनिंग स्टाफ के साथ वर्तमान में अपनाई जा रही ऐसी कार्यप्रणाली की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जो न केवल कर्मचारियों के वैधानिक कार्य-घंटों एवं विश्राम के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सीधे तौर पर **रेलवे संचालन की सुरक्षा एवं संरक्षा को प्रभावित करने वाली गंभीर प्रशासनिक समस्या** बन चुकी है।

1. 9 घंटे की निर्धारित Running Duty के पश्चात राहत के स्थान पर दबाव एवं DAR कार्रवाई

Railway Board के RBE No.143/2016 dated 28.11.2016 में स्पष्ट किया गया है कि Running Staff की running duty at a stretch **ordinarily 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए**। यदि विशेष परिस्थिति (Operational Exigancy as per RBE No. 120/2016, dated 13.10.2016) में इसे आगे बढ़ाना आवश्यक हो तो Railway Administration द्वारा

09 घंटे की समाप्ति से कम-से-कम 2 घंटे पूर्व crew को सूचित किया जाना आवश्यक है और कुल sign-on से sign-off duty 11 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। सीमित परिस्थितियों में भी trip की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

इसके बावजूद सोलापुर मंडल में ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं जहाँ कर्मचारी निर्धारित running duty पूर्ण करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से आगे train संचालन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और relief की मांग करते हैं, परंतु उनकी वास्तविक safety concern को समझने और वैकल्पिक crew की व्यवस्था करने के बजाय उन पर प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है तथा DAR/Disciplinary proceedings प्रारंभ कर दंडित किया जाता है।

यह दृष्टिकोण अत्यंत गंभीर है।

लोको पायलट का कार्य ऐसा कार्य है जिसमें लगातार सतर्कता, निर्णय क्षमता एवं sustained attention की आवश्यकता होती है। HOER Rules स्वयं intensive employment की अवधारणा में strenuous nature तथा continuous application/continued concentration को महत्व देते हैं।

अतः किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित duty limit के बाद अपनी fatigue अथवा safety concern व्यक्त करना अपने-आप में "indiscipline" अथवा "devotion to duty" की कमी नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब Railway Board द्वारा निर्धारित duty-hour procedure का अनुपालन प्रशासन द्वारा स्वयं नहीं किया गया हो।

किसी संभावित रेल दुर्घटना से बचने के लिए समय रहते relief मांगने वाले लोको पायलट को दंडित करना और उसे निर्धारित सीमा से आगे कार्य करने के लिए विवश करना वस्तुतः safety culture के विपरीत है।

2. HOER एवं Railway Board के निर्देशों के विरुद्ध HQ Overshoot

दूसरा अत्यंत गंभीर विषय लोको रनिंग स्टाफ के मुख्यालय पहुँचने के बाद मिलने वाले HQ Rest से संबंधित है।

HOER Rule 12 running staff के periodic rest एवं headquarters rest की स्पष्ट व्यवस्था करता है। इसके अनुसार locomotive/traffic running staff को periodic rest headquarters पर दिया जाना है और HQ rest में रात का विश्राम भी शामिल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त-

- Railway Board के RBE No.143/2016 में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि **Headquarter Rest of all Running Staff shall be 16 hours irrespective of the duration of the incoming trip**, तथा मौजूदा provisions को minimum condition के रूप में बनाए रखने की बात कही गई है।

- Rajya Sabha unstarred question no. 610 answered on 26.07.2024 by Minister of Railways, **Shri Ashwini Vaishnaw sir**
  Point no. 3 - Headquarter rest: Headquarter rest of 16 hours is given after running staff member reaches their Headquarter.

- Press Release by Press Information Bureau on dated 26.07.2024 (Hindi Version) Headquarters Rest रनिंग स्टाफ के सदस्य को मुख्यालय पहुँचने के बाद 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम दिया जाता है। (A member of the running staff is given 16 hours of Headquarters Rest after reaching the Headquarters.)

- CRIS letter No.2008/CRIS/NDLS. HQ/CMS/Project/Rollout/PH/0026/Pt.II Dated 28.02.2020 इस पत्र में भी point no. 3.0 मे railway board letter no. E(LL)/2016/HPC/1, dated 28.11.2016

के para no. 1 (vi) और 2 का reference देते हुये स्पष्ट किया गया है कि Running staff headquarter rest hours has been revised to 16 hours irrespective of their incoming trip duty hours.

- Railway board letter no. 2007/Elect(TRS)/225/7 dated, 26.04.2023 इस पत्र मे भी point no. 6 मे उल्लेखित है की headquarter rest of all running staff will be 16 hours irrespective of the duration of their incoming trip.

इसके बावजूद सोलापुर मंडल में ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें crew के HQ पहुँचने के बाद उसे निर्धारित HQ Rest प्रदान करने के बजाय **HQ Overshoot** कराया जाता है और उसे पुनः आगे की duty में भेज दिया जाता है।

यह केवल "crew utilization" का विषय नहीं है।

यह सीधे तौर पर कर्मचारी के निर्धारित विश्राम को कम करता है, fatigue बढ़ाता है तथा अगले train operation में उसकी alertness और decision-making क्षमता को प्रभावित करता है।

अर्थात् प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के rest entitlement में की गई कटौती का सीधा संबंध **operational safety** से है।

3. विश्राम की कटौती के बाद कोई उचित compensatory mechanism भी नहीं

HOER Rules में extra hours तथा rest provisions के संबंध में स्पष्ट statutory framework है। Rule 10 के अनुसार निर्धारित rostered hours/limits से अतिरिक्त कार्य की स्थिति में overtime का प्रावधान है तथा Rule 11 में extra hours का record रखने की व्यवस्था है। Rule 9 के अंतर्गत temporary exemption भी लिखित आदेश एवं निर्धारित authority के माध्यम से ही हो सकती है।

अतः यदि प्रशासन स्वयं निर्धारित rest अथवा working-hour provisions से deviation करता है, तो उस deviation का विधिवत रिकॉर्ड, competent authority का आदेश तथा लागू compensatory/overtime provisions का पालन होना चाहिए।

कर्मचारी के rest को कम करके उसी को सामान्य working practice बना देना और उसके बदले न तो उचित rest adjustment करना, न रिकॉर्ड रखना और न ही लागू compensation देना नियमों की भावना के पूर्णतः विपरीत है।

4. यह केवल कर्मचारी हित का नहीं बल्कि Railway Safety का विषय है

हम विशेष रूप से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह representation किसी कर्मचारी को नियमों से ऊपर रखने अथवा duty से बचाने के लिए नहीं है।

<u>हमारी मांग केवल इतनी है कि</u>– **जहाँ Railway Board/HOER द्वारा duty और rest की सीमा निर्धारित है, वहाँ Administration स्वयं उन सीमाओं का पालन करे और उन्हीं नियमों के आधार पर कर्मचारियों से कार्य लिया जाए।**

Running Staff को fatigue की अवस्था में train चलाने के लिए दबाव डालना और दूसरी ओर fatigue के कारण relief मांगने वाले कर्मचारी को disciplinary punishment देना एक गंभीर contradiction है।

यह व्यवस्था भविष्य में किसी गंभीर safety incident की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है और ऐसी स्थिति में केवल लोको पायलट को उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।

5. Sr. DEE/TR/SUR एवं DME/OP/SUR की भूमिका की जांच आवश्यक

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग कर्मचारियों से निर्धारित duty/rest provisions के अनुरूप कार्य लेने के बजाय **अनुचित दबाव एवं disciplinary action के माध्यम से compliance प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।**

अतः हम मांग करते हैं कि Sr. DEE/TR/SUR एवं DME/OP/SUR के स्तर पर–

- 9 घंटे के बाद crew से कराई गई duty,
- 9 घंटे के बाद दिए गए relief requests,
- जारी किए गए DAR/charge memos,
- imposed punishments,
- HQ पहुंचने के बाद किए गए HQ Overshoot,
- HQ Rest में की गई कटौती,
- CMS/crew booking records,
- sign-on/sign-off records,
- controller/crew control communication तथा
- rest records

की **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच** कराई जाए।

जांच के दौरान संबंधित CMS records, crew lobby records, control charts, call records, sign-on/sign-off data एवं DAR files को सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी रिकॉर्ड में बाद में परिवर्तन की संभावना न रहे।

6. हमारी स्पष्ट मांगें

अतः हम निम्नलिखित तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं–

(1) सोलापुर मंडल में Running Staff से duty hours एवं rest से संबंधित Railway Board/HOER provisions का तत्काल और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) 9 घंटे के बाद safety concern के कारण relief मांगने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई सभी DAR proceedings की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए तथा जहाँ Board-prescribed conditions का पालन नहीं हुआ है, वहाँ proceedings/penalty को निरस्त किया जाए।

(3) HQ पहुँचने वाले Running Staff को Railway Board के निर्देशानुसार निर्धारित HQ Rest उपलब्ध कराया जाए और HQ Overshoot की वर्तमान प्रथा तत्काल बंद की जाए।

(4) पिछले कम-से-कम 12 महीनों के HQ Overshoot तथा rest-breach cases का audit कराया जाए और जिन कर्मचारियों के निर्धारित rest में कटौती की गई है, उनके records की समीक्षा कर उन्हें नियमानुसार उचित rest/compensation दिया जाए।

(5) निर्धारित limits से अधिक कराई गई duty का HOER के Rule 11 के अनुसार पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाए तथा लागू overtime provisions का पालन किया जाए।

(6) Sr. DEE/TR/SUR एवं DME/OP/SUR की भूमिका की निष्पक्ष जांच किसी ऐसे अधिकारी/समिति से कराई जाए जो उक्त निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो।

(7) जांच पूर्ण होने तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इस विषय पर कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक अथवा दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

(8) मंडल स्तर पर Running Staff, Operating Department, Personnel Department एवं Safety Department की संयुक्त बैठक आयोजित कर HOER एवं Railway Board instructions के compliance की स्पष्ट SOP जारी की जाए।

7. न्यायिक एवं वैधानिक उपाय अपनाने के संबंध में

हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि कर्मचारियों के कार्य-घंटे, विश्राम, occupational safety एवं सुरक्षित train operation से संबंधित उपर्युक्त प्रावधान केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए जारी किए गए निर्देश नहीं हैं। HOER Rules, Railways Act, 1989 के Chapter XIV के अंतर्गत बनाए गए वैधानिक प्रावधान हैं। Railway Board ने भी समय-समय पर इन statutory provisions के strict compliance के निर्देश दिए हैं।

Railway Board ने स्वयं 2016 में Section 133 तथा HOER Rule 12 के provisions को strictly comply करने का निर्देश दिया था।

अतः यदि इस representation के बावजूद–

- निर्धारित duty hours से अधिक कार्य लेने,
- safety concern के बावजूद crew पर दबाव बनाने,
- HQ Rest में कटौती/HQ Overshoot,
- लागू rest provisions की अवहेलना,
- अथवा नियमों का पालन करने वाले कर्मचारियों को DAR के माध्यम से प्रताड़ित करने

की स्थिति जारी रहती है, तो यह संगठन/कर्मचारी उपलब्ध **सभी वैधानिक एवं न्यायिक उपायों** का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे।

ऐसी स्थिति में माननीय Central Administrative Tribunal, उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम वैधानिक/न्यायिक मंच के समक्ष उचित कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रशासनिक जवाबदेही एवं नियमों की अवहेलना के विषय को भी सक्षम मंच के समक्ष रखा जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस representation को गंभीर **Safety, Labour Rights तथा Statutory Compliance issue** मानते हुए समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा हमें की गई कार्रवाई से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

हम आशा करते हैं कि प्रशासन न्यायसंगत एवं निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए ऐसी परिस्थितियों को समाप्त करेगा, जिससे कर्मचारी भी सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें और रेलवे का सुरक्षित संचालन भी सुनिश्चित हो सके।

Yours,

YOGESH MADAKE
Ad-hoc Divisional Secretary
AILRSA, SOLAPUR DIVISION

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO), मध्य रेलवे–HOER compliance हेतु।
2. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (PCOM), मध्य रेलवे–Running Staff safety एवं crew management हेतु।
3. Chief Safety Officer, Central Railway—Safety implications की जांच हेतु।
4. Sr.DPO, सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे –HOER compliance हेतु।
5. Sr.DOM, सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे –for corrective action.
6. Sr.DEE/TR & DME(OP), सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे –for corrective action.
7. Sr.DSO, सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे –Safety implications की जांच हेतु।